जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम।

अति अल्पकालीन निविदा

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक (N) 714 (अनु०) दिनांक 25.06.2021 के द्वारा मनरेगा के तहत बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत इमारती पौधा (सहजन/ शरीफा/ गम्हार/ शीशम/ साल/ सागवान/ काजू/ करंज/ आँवला/ जामुन/ इमली/ गुलमोहर/ गिलिरीसिडिया/ कटहल/ महोगनी/ पीपल) के पौधों की गुणवत्तापूर्ण खरीदारी हेतु सरकारी पौधशाला, दीदी बगिया, निजी पौधशाला से क्रय किया जाना है।

अतः विभागीय पत्र के आलोक में सरकारी पौधशाला, दीदी बगिया, निजी पौधशाला से निम्न शर्त्तों के आधार पर इमारती पौधा (सहजन/ शरीफा/ गम्हार/ शीशम/ साल/ सागवान/ काजू/ करंज/ आँवला/ जामुन/इमली/ गुलमोहर/ गिलिरीसिडिया/ कटहल/ महोगनी/पीपल) के पौधों की आपूर्ति के लिए दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :–

A . सहजन/शरीफा/काजू पौधों की आपूर्ति करने हेतु निम्न मानदंड है:–

1. पौधों की लम्बाई 2' से अधिक व 4' के बीच हो।
2. पौधों में किसी प्रकार का रोग/बीमारी/कीट नहीं लगा हो व उसमें कम से कम 02–03 स्वस्थ Flushes निकला हो।
3. पौधों का उम्र कम से कम 01वर्ष हो।
4. पौधों के थैला काला पोलिथिन का हो, वह थैला (Black Polythin Bag) का आकार 6"X7" से 9"X11" का होना चाहिए। पौधा का जड़ स्वस्थ व अधिक घना हो।
5. Collar की Diameter 0.5 से अधिक होना चाहिए।

B. गम्हार/शीशम/सागवान/करंज/आँवला/जामुन/इमली पौधों की आपूर्ति करने हेतु निम्न मानदंड है–

1. पौधों की लबाई 2'6" से अधिक व 5' के बीच होना चाहिए।
2. पौधों का उम्र कम से कम 02 वर्ष से अधिक न हो।
3. Collar की Diameter 0.5 से अधिक होना चाहिए।
4. पौधों में किसी प्रकार का रोग/ बीमारी/कीट नहीं लगा हो।
5. पौधों के थैला काला पोलिथिन का हो व थैला (Black Polythin Bag) का आकार 6"X7" से 9"X11" का होना चाहिए। पौधा का जड़ स्वस्थ व अधिक घना हो।

उक्त सभी पौधे Poly – Tube में तैयार किये गये हो, उनमें मूल जड़ (Tap Root) उपलब्ध हो। बड़े Poly – Tube में तैयार पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी।

निविदादाताओं को निम्नलिखित शर्त्तों के अनुरूप दर अंकित करनी होगी:–

01. कार्यस्थल तक सामग्री आपूर्ति करने हेतु सभी प्रकार के कर, परिवहन एवं हथालन व्यय आदि सहित दर का उल्लेख करना अनिवार्य है।
02. संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ पंचायत स्तर से निर्गत आपूर्ति आदेश के आलोक में पौधों की आपूर्ति किया जायेगा। आपूर्तिकर्त्ता अपनी पक्की रसिद के साथ संबंधित लाभुकों से एक संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त कर के ही संबंधित पंचायत में जमा करेंगे।
03. आपूर्तिकर्त्ता कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिये स्वंय जिम्मेवार होगें। निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता यदि समय सीमा के अन्दर पौधों की आपूर्ति नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भुगतान देय नहीं होगा साथ ही आपूर्तिकर्त्ता की जमानत राशि जब्त करते हुए उन्हें काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।

04. आपूर्तिकर्त्ता अपने फॉर्म का GST निबंधन प्रमाण पत्र, GST जमा करने का अद्यतन प्रमाण पत्र, आधार, पेन नं0 समर्पित करेंगे।

05. आपूर्तिकर्त्ता को अपने फॉर्म का विगत दो वर्षों का ITR जमा करना होगा।

06. संस्था काली सूची में नहीं डाली गई हो, इसके लिये शपथ पत्र देना आवश्यक है।

07. आपूर्तिकर्त्ताओ को अग्रधन के रूप में 10,000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त –सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, पूर्वी सिंहभूम के नाम से जमा करना होगा।

08. ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक N – 714 दिनांक 25.06.2021 के आलोक में पौधों की आपूर्ति करनी होगी एवं उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

09. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ पंचायत स्तर से निर्गत आपूर्ति आदेश की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर चयनित नर्सरियों /फॉर्मो को निर्दिष्ट स्थल पर पौधों की आपूर्ति करनी होगी।

10. **दिनांक** 04 **/08/2021 के 1:00 बजे अपराह्न** तक उप विकास आयुक्त– सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय में निविदा प्राप्त की जायेगी तथा **उसी दिन अपराह्न 3:30 बजे** सक्षम क्रय समिति के द्वारा नर्सरियों के फॉर्म/प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। लिफाफे पर साफ –साफ शब्दों में Timber Plantation of MGNREGA अंकित कर जमा करना होगा। संबंधित नर्सरियों द्वारा पौधों का Sample एवं दर अंकित कर साथ में लाना अनिवार्य होगा। Sample के अनुरूप ही क्रय समिति द्वारा पौधा का दर एवं Supply करवाने हेतु निर्णय लिया जायेगा।

11. निविदादाता का Financial Bid मुहरबंद लिफाफा में देना होगा तथा Technical Bid के साथ सभी कागजात, प्रमाण पत्र एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न होगा। एवं प्रति पौधा का दर अंकित रहेगा।

12. निविदा की शर्तों में संशोधन करने या बिना कारण बताये किसी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा आपूर्तिकर्त्ता को कार्यादेश निर्गत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

ह0/-

उप विकास आयुक्त
–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक 1061 / जि०ग्रा०, दिनांक :– 26.07.2021

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि बागवानी योजना से संबंधित सूचना को जिला के वेबसाईट Jamshedpur.nic.in पर Upload करना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपिः– जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि 3 दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– मनरेगा आयुक्त, झारखंड, रांची को सूचनार्थ समर्पित।

26/7/2021

उप विकास आयुक्त
–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी सिंहभूम।